



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092020-221964
CG-DL-E-25092020-221964

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2952]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942

No. 2952]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

(आयकर)

का. आ. 3303(अ).—आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 118 और धारा 120 की उपधारा (1) तथा (2) के प्रयोग में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, के का.आ. 2753 (अ) दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करता है-

(i) प्रविष्टि संख्या 11, 20, 21 तथा 35 को हटाया जाता है।

(ii) क्रम संख्या 10 के सामने कॉलम (4) में,-

- (क). “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-4” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (ख). “(iv) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, चेन्नई-8” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (iii) क्रम संख्या 18 के सामने, कॉलम (4) में,-
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-12” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है
- (iv) क्रम संख्या 19 के सामने, नामतः
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, दिल्ली-20” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।
- (v) क्रम संख्या 32 के सामने नामतः
- (क). “(ii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-27” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।
- (ख). “(iii) प्रधान आयकर आयुक्त/आयकर आयुक्त, मुम्बई-20” संख्या तथा शब्दों को शामिल किया जाता है।

[अधिसूचना सं. 78 /2020 फा.सा. 187/4/2020- आईटीए-1]

गुलजार अहमद वानी, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 51/2014, दिनांक 22 अक्टूबर, 2014 को का. आ. 2753 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और उसमें अंतिम बार 13 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2754 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 25th September, 2020
(Income-tax)

S.O. 3303(E).—In exercise of the powers conferred under section 118 and sub-section (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide no. S.O. 2753 (E) dated the 22nd October, 2014, namely;-

- (i) entry number 11, 20, 21 and 35 stands deleted.
- (ii) against serial number 10, in column (4),-
- (a) the number and words “(iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Chennai -4” is inserted.
- (b) the number and words “(iv) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Chennai -8” is inserted.
- (iii) against serial number 18, in column (4),-
- (a) the number and words “(ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Delhi -12” is inserted.
- (iv) against serial number 19, namely, -
- (a) the number and words “(ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Delhi -20” is inserted.

(v) against serial number 32, namely, –

- (a) the number and words “(ii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai -27” is inserted.
- (b) the number and words “(iii) Principal Commissioner/Commissioner of Income-tax, Mumbai -20” is inserted.

[Notification No. 78 /2020. F. No. 187/4/2020 ITA -I]

GULZAR AHMAD WANI, Under Secy.

Note: The principal notification number 51/2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary Part – II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2753(E) and last amended vide notification number S.O. 2754(E), dated 13th August, 2020.